न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी विश्राम मीना (आई ए एस)

अपील संख्याः 37 / 2024

GCMS NO. 2024/45

1. जेठी देवी पत्नी श्री हीरा राम
2. निर्मला पुत्री श्री हीरा राम
3. रामदेव पुत्र श्री हीरा राम
4. हनुमान पुत्र श्री हीरा राम

अकवाम नाई, साकिनान 12 एसटी बी तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़

——— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पेरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : बालकिशन शर्मा एडवोकेट — अभिभाषक अपीलान्ट

श्री मुरलीधर उपाध्याय एडवोकेट, — अभिभाषक अपीलान्ट

पेरोकार राज

–:– **निर्णय** –:–

दिनांकः– 12·1·26

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ के आदेश दिनांक 27–03–2024 व अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व सूरतगढ के आदेश दिनांक 31–08–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–
2. वादग्रस्त भूमि रोही कस्बा सूरतगढ के खसरा न0 444 / 4 की 6.325 हैक्टर बारानी भूमि अपीलान्ट के पति व पिता को सन 1970 मे आवंटन हुई थी। विवादित भूमि अपीलान्ट के नाम सम्वत 2060 तक नवीनीकरण होती रही है। अपीलान्ट के पति व पिता विवादित भूमि पर टी.सी. आंवटन की हैसियत से काबिज रहे है। तहसीलदार सूरतगढ ने अपने आदेश दिनांक 31–08–2006 से अपीलान्ट का टी. सी. आवंटन को पैराफैरी क्षैत्र आने के कारण खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ के समक्ष अपील पेश की उन्होने अपने निर्णय दिनांक 27–03–2024 को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ का निर्णय यथावत रखा। इन्ही निर्णयो से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।
3. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिवक्तागण की बहस सुनी योग्य अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मीमो में वर्णित उक्त तथ्यों को दोहराते हुये मौखिक बहस के साथ लिखित बहस पेश की गई। हमने लिखित बहस का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालयों ने राज्य सरकार के परिपत्र (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 15.12.2005 एवं 08.02.2006 के आधार पर अपीलान्ट के आवंटन को खारिज किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की विभिन्न न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2006–2007 पेज 651, 2001(1) पेज 603, 2019(1) पेज 372, 2016(2) पेज 914, 2023(2) पेज 1085, 2016(1) पेज

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

325, 2009–10 (1) पेज 345, 2021(1) पेज 680, आर. आर. डी. 1005 पेज 688 हमने उकत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने आर. आर. टी. 2021 (1) पेज 680 मूलचन्द बनाम स्टेट में विस्तरित विवेचन किया है कि परिपत्र दिनांक 15–12–2005 व 08–02–2006 उपरोक्त परिपत्र केवल वेस्ट लैण्ड आवंटन के सम्बन्ध में पारित किया गया है और राज्य सरकार द्वारा परिपत्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि यह परिपत्र किन–किन नियमों के तहत आवंटित भूमियों पर लागू होगा तथा भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निम्नलिखित नियम बनाये गये है:–
अ–राजस्थान भू–राजस्व (निजी जंगलात विकसित करने हेतु अकृषि योग्य बंजर भूमि का आवंटन) नियम 1986
ब:–राजस्थान भू–राजस्व (कृषि आधारित निर्यातोन्मुख उपज के प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1996
स–राजस्थान भू–राजस्व (डेयरी कुकट और सूअर पालन हेतु आवंटन) नियम 1999

उनका कथन है कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र केवल उक्त वर्णित अ, ब, स, नियमों पर लागू होगा तथा अपीलान्ट को किया गया विवादित भूमि का आवंटन उपरोक्त नियमों के तहत नहीं है। इसलिए राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 15–12–2005 एवं 08–02–2006 के प्रावधान अपीलान्ट को कि गई आवंटन भूमि पर लागू नहीं होते है। अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ व तहसीलदार सूरतगढ का अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो असवैधानिक एवं शुन्य होने से निरस्त योग्य है एवं अपीलान्ट का टी. सी. रकबा बहाल किये जाने योग्य है।

04. अपीलान्ट एक साक्षर खेतीहर किसान है कानून एवं नियमों की जानकारी नहीं रखता है। उक्त रक्बा अपीलान्ट के पति/पिता को संवत 2036 में टी.सी. आवंटन हुआ एवं अपीलान्ट के पति/पिता की मृत्यु के बाद अपीलान्ट गण का कब्जा काश्त रहा तथा अपीलान्ट की भूमि के संबंध में आर.आर.डी. 2019 पार्ट–I सरजीत सिंह बनाम सरकार पेज 373 में निर्मित किया कि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थायी पट्टा) शर्ते 1955 शर्त 4(एफ) अस्थायी पट्टा काश्त पर प्रार्थी गण के पिता को भूमि दी उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थी गण पुख्ता पट्टा काश्त हेतु आवेदन किया प्रार्थना पत्र खारीज किया और अपील में यथावत रखा मृतक पट्टा धारक के वारिसान के पक्ष में लीज नवीनिकृत किया जा सकता है। इसी प्रकरण के मद संख्या 4 में संवत 2030 के पश्चात भूमि का नवीनिकरण नहीं हुआ। किन्तु जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के परिपत्र 20–06–1991 में यह स्पष्ट निर्देश दिये है कि जो भी आराजी काश्त पर आवंटित है उसे यथावत उन्हीं व्यक्ति या उनके वारिसान के नाम नवीनीकृत किया जावे। इस परिपत्र में पूर्व परिपत्र दिनांक 09.04.1988 का भी हवाला है जिसमें भी आराजी काश्त पर आवंटित भूमि को यथावत उन्हीं आवंटियों के नाम नवीनीकरण करने के आदेश है। उक्त कथन अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 27–03–2024 के पेरा संख्या 09 में दिये गये है। नियमों को परिभाषित करते हुए अंकित किया गया है। अतः पिता/पति के नाम आवंटित आराजी काश्त को वारिसान को आवंटित किया जा सकता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय अपास्त फरमाया जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

05. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया कि अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ ने रकबा रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं 444/4 की 6.325 हैक्टर को राजस्थान उपनिवेशन (अस्थायी कृषि पट्टा) शर्त 1955 के तहत अस्थायी काश्त (टी.सी.) पर आवंटन हुई थी टी.सी. आवंटन 01 वर्ष हेतु किया जाता है तथा अपीलान्ट का निरन्तर कब्जा न मानकर अपील खारीज कर तहसीलदार सूरतगढ का आदेश यथावत रखा गया है जबकि अपीलान्ट गण द्वारा संवत 2038 से 60 तक की गिरदावरी एवं अस्थायी टी.सी. नवीनीकरण के दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। एवम् गिरदावरी की प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि लिखित बहस के साथ प्रस्तुत की गई है जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलान्ट गण एवम आवंटि का कब्जा काश्त नहीं रहा है।

06. योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अपील बहस में कथन किया कि विवादित भूमि पैराफेरी क्षैत्र की है जो राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 15–12–2005 एवं दिनांक 08–02–2006 के आधार पर आवंटन नहीं की जा सकती । अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इसी तथ्य एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किये गये है, जिसकें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटी नहीं होने से पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

07. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने राजकीय अधिवक्ता की बहस पर प्रत्युत्तर जवाब बहस में कथन किया कि राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर परिपत्र दिनांक 15–12–2005 एवं दिनांक 08–02–2006 केवल वेस्ट लैण्ड आवंटन के सम्बन्ध में पारित किये गये है। अपीलान्ट की भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में अस्थाई खेती पट्टा धारक या स्थाई आवंटित के रूप में आवंटित की गई थी और ऐसा क्षेत्र बाद में उपनिवेशन क्षेत्र से अपवर्जित कर दिया गया तथा 01–01–2001 तक उक्त भूमि पर निरन्तर कब्जा है, तो ऐसा व्यक्ति राजस्थान धृति पर अधिनियम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के अधीन लागू अधिकतम सीमा तक इन नियमों के अधिन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का हकदार होगा। इसके अतिरिक्त तहसीलदार सूरतगढ भू–अभिलेख ने अपने निर्णय में अपीलान्ट का संवत 2061 अर्थात वर्ष 2004 तक नवीनीकरण होना स्वीकार किया गया।

अतः राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) दिनांक 15–12–2005 एवं 08–02–2006 केवल वेस्ट लैण्ड पर लागू होने को आधार मान कर आवंटन खारिज किया गया है, विधि सम्मत नहीं होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ आदेश दिनांक 31–10–2013 एवं तहसीलदार सूरतगढ आदेश दिनांक 31–08–2006 अपास्त फरमाया जावे।

08. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया और दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं मनन किया।

09. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली, पारित निर्णयों एवं उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 08–02–2006 में उल्लेख है कि"शहरी व शहरो के पैराफेरी क्षेत्रों की राजस्व भूमियों की शहरी स्थानीय निकायों को शहरों के विकास व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आवश्यकता होती है, इस कारण यह आवश्यक

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

है कि शहरी व शहरों के पैराफेरी क्षेत्रों में राजकीय भूमियों का दुरूपयोग रोका जावे। शहरी व शहरों के पैराफेरी क्षेत्रों मे पूर्व के वर्षों में जो वेस्ट–लैण्ड का आवंटन निश्चित अवधि के लिए किया गया था, उसमें आवंटन में वर्णित अवधि के पश्चात पट्टे की अवधि नहीं बढायी जावे, एवम् भूमि कब्जा राज ली जाकर रिकॉर्ड से आवंटी का अंकन हटाया जावे व जिन मामलों में पट्टे की अवधि समाप्त नहीं हुयी है, परन्तु वेस्ट–लेण्ड आवंटन को सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त करवाकर भूमि कब्जा राज ली जावे और राजस्व रिकार्ड से आवंटी का अंकन हटाया जावे।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 के अंतर्गत वेस्ट–लेण्ड आवंटन हेतु बनाये गये नियमः–(1) राजस्थान भू–राजस्व (निजी जंगलात विकसित करने हेतु अकृषि योग्य बंजर भूमि का आवंटन) नियम, 1986 व (2) राजस्थान भू–राजस्व(कृषि आधारित निर्यातोन्मुख उपज के प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1996 के अंतर्गत जो वेस्ट–लेण्ड लीज की शर्तों पर आवंटित ली गयी है या उक्त भूमि अवाप्ति होने पर उसका मुआवजा ले लिया गया है या आवंटी द्वारा अपने नाम संपरिवर्तन करा लिया गया है तो यह सभी आवंन गैर कानूनी व शर्तों के विरूद्ध होने के कारण खातेदारी अधिकार देने के आदेश/संपरिवर्तन के आदेश को नियमानुसार निरस्त किया जाय व भूमि वापस राजस्व सिवाय चक दर्ज की जाय व अवैध प्राप्त किये गये मुआवजे की वसूली मय ब्याज की जावे।

राजस्थान भू–राजस्व (डेयरी, कुक्कुट और सूअर पालन हेतु आवंटन)नियम, 1958 के अंतर्गत पोल्ट्री, सुअर पालन तथा डेयरी फार्मा के जिन प्रकरणों में लीज अवधि समाप्त हो चुकी है और आगे लीज अवधि का विस्तार नहीं करवाया गया है या विभिन्न कारणों से लीज अवधि का विस्तार किया जाना उचित नहीं माना गया तो ऐसे प्रकरणों में भूमि तुरंत कब्जा राज ली जाकर राजस्व रिकार्ड में लीजधारी का अंकन हटाया जावे। यदि लीजधारी में लीज अवधि के दौरान लीज आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की, तो उनक लीज सक्षम अधिकारों द्वारा निरस्त कर भूमि कब्जा राज ली जावे और राजस्व रिकार्ड में लीजधारी का अंकन समाप्त किया जावे। यदि लीज अवधि के दौरान किसी आवंटी ने, लीज पर आवंटित भूमि का खतेदारी/संपरिवर्तन करा लिया हो, अथवा भूमि की अवाप्ति पर मुआवजा प्राप्त कर लिया हो तो ऐसी खातेदारी/संपरिवर्तन/मुआवजे के आदेशों को नियमानुसार निरस्त किया जावे व भूमि वापिस राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज की जावे एवं अवैधानिक तौर पर प्राप्त किये गये मुआवजे की वसूली मय ब्याज की जावे। "

10. राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार (अ), (ब), (स) के नियमों के तहत आवंटित भूमि पर लागू होने जबकि अपीलान्ट को राजस्थान उपनिवेशन (अस्थायी कृषि पट्टा) शर्त, 1955 शर्तों के तहत विवादित भूमि का आवंटन किया गया है, ना कि वैस्ट लैण्ड हेतु बने नियमों के तहत, इसलिए राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त परिपत्र दिनांक 15–12–2005 में निम्नानुसार उल्लेख जारी किया गया हैः–

(01) औद्योगिक या अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ नियमानुसार भूमि का आवंटन दो प्रकार से हो सकता है

(अ) स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि का उक्त प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया जाकर अवंटन

(ब) राज्य सरकार के स्वामित्व की सिवाय चक भूमि का आवंटन

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

(2) इस प्रकार संपरिवर्तित भूमि का उपयोग संपरिवर्तित प्रयोजनार्थ न कर पाने पर आवंटी द्वारा प्रार्थना –पत्र प्रस्तुत कर स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि को मूल रूप में कृषि प्रयोजनार्थ खातेदारी में दर्ज करवाया जा सकता है परन्तु राज्य सरकार के स्वामित्व की सिवाय चक भूमि के आवंटन के प्रकरणों में नियमानुसार आवंटी का आवंटन निरस्त होकर पुनः मूल रूप से सिवाय चक दर्ज की जानी होती है।

(4) कतिपय मामलों में शासन के यह ध्यान में लाया गया है कि राज्य सरकार के स्वामित्व वाली सिवाय चक भूमि के आवंटन के मामलों में भी आवंटी द्वारा आवंटित प्रयोजनार्थ भूमि का उपयोग न कर पाने की स्थिति में राजस्व अधिकारियों के समक्ष आवंटी द्वारा प्रार्थना –पत्र प्रस्तुत करने पर राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रकरण का पूर्ण परीक्षण किये बिना ही इस प्रकार की सिवाय चक राजकीय भूमि को भी आवंटी के खातेदारी में दर्ज कर दी गई है, जो नियमानुसार सही नहीं है और इससे राज्य सरकार को हानी होती है।

(5) अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति, कम्पनी या किसी Juristic Person को राजकीय सिवाय चक भूमि औद्योगिक या अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई है तो जब कभी उक्त भूमि उस अकृषि उद्धेश्य हेतु उपयोग में ली जायेगी तो वो पुनः राज्य सरकार के नाम सिवाय चक भूमि के रूप में दर्ज की जानी है। यदि ऐसे मामलों में आवंटित व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमि को पुनः कृषि में संपरिवर्तन हेतु प्रार्थना–पत्र दिया जाता है तो उक्त भूमि उस व्यक्ति की खातेरी में कृषि भूमि के रूप में दर्ज नहीं की जायेगी, क्योंकि उपरोक्त व्यक्ति के नाम उक्त कृषि भूमि थी ही नही और ऐसी भूमि सिवाय चक ही दर्ज की जायेगी।

(6) अतः उक्त स्थिति अपने अधीनस्थ अधिकारियों को स्पष्ट करावें और यह भी जांच करायें कि क्या किसी मामले में इस प्रकार की गलती हुई है, यदि हां, तो उसे चिन्हित कर भूमि को तुरन्त सिवाय चक दर्ज करवाकर कब्जाराज लिया जावे एवं दोषियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्ताव तैयार कर सक्षम स्तर पर भिजवाये जावे।

(7) आप अपने जिले में ऐसे प्रकरणों की समीक्षा कर एक माह में राज्य सरकार को वस्तुस्थिति से अवगत करावे।

11. प्रस्तुत प्रकरण में उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार भू0अ0 सूरतगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–08–2006 के विरूद्ध अपीलार्थी जेठी देवी ने अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ के समक्ष अपील पेश कि जो बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 27–03–2024 से राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 15–12–2005 एवं 08–02–2006 के अन्तर्गत अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी । जबकि अपीलार्थी उपरोक्त दोनों परिपत्रों में की गई विवेचना के अन्तर्गत नहीं आता है। अपीलार्थी प्री 55 का काश्तकार एवं बाद में परिवर्तित आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत आवंटी है। फलस्वरूप अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधिक त्रुटिपूर्ण है।

12. प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 के तहत रोही कस्बा सूरतगढ के खसरा न0 444 / 4 में 6.325 है, भूमि अपीलान्ट को 1976 में आवंटन हुई थी। विवादित भूमि अपीलान्ट के नाम सम्वत 2061 तक नवीनीकरण होती रही और अपीलान्ट विवादित भूमि पर टी. सी. आंवटी की हैसियत से काबिज काश्त रहा। तत्पश्चात राजस्थान सरकार द्वारा अधिसुचना

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

संख्या प.3(9) उप/2007 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 (राजस्थान अधिनियम सं. 27 सन 1954) धारा 4 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार अधिसूचना (दिनांक 09-10-2007, राजस्थान राज पत्र प्रकाशित दिनांक 18-10-2007) कमांक एफ-6 (513) राज/बी/55 दिनांक 10-05-1956, एफ.6 (513) राज/बी/55 दिनांक 13-09-1957, एफ.16(129) राज/ई/58 दिनांक 21-01-1959 से विवादित भूमि को उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर कर डी- कॉलोनी क्षैत्र घोषित कर दिया, इससे स्पष्ट है कि राजस्थान राज पत्र में प्रकाशित दिनांक 18-10-2007 के बाद विवादित भूमि भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के प्रावधान लागू होते है और भू-राजस्व अधिनियम के तहत गैर खातेदार खातेदार श्रेणी के ही काश्तकार होते है, अपीलान्ट जो उपनिवेशन क्षेत्र में कृषि आवंटित थे वह अब भू-राजस्व अधिनियम के तहत गैर- खातेदार श्रेणी के कृषक हो गये है और नियम 18(1) के तहत खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। राजस्थान सरकार द्वारा राज पत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 18-10-2007 से विवादित भूमि को उपनिवेशन क्षैत्र से बाहर करने के पश्चात राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 9(77)रेवे-6/2008/15 दिनांक 31-05-2008 से राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 में यह परन्तुक जोड़ दिया गया। "व्यक्ति, जिसको भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में अस्थाई खेती पट्टा धारक या स्थाई आवंटित के रूप में आवंटित कि गई थी और ऐसा क्षेत्र बाद में उपनिवेशन क्षेत्र से अपवर्जित कर दिया गया था का 01-01-2001 से पूर्ण उक्त भूमि पर निरन्तर कब्जा है, तो ऐसा व्यक्ति राजस्थान कृषि धृति पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के अधीन लागू अधिकतम सीमा तक इन नियमों के अधीन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का हकदार होगा" तथा कार्यालय तहसीलदार सूरतगढ भू-अभिलेख ने अपने निर्णय में अपीलान्ट का संवत 2060 अर्थात वर्ष 2003 तक नवीनीकरण होना स्वीकार किया है, तथा कार्यालय तहसीलदार से जारी गिरदावरीया सम्वत 2038 से 2060 के अनुसार भी विवादित भूमि दिनांक 01-01-2001 के बाद तक अपीलान्ट के नाम नवीनीकरण होती रही है। अपीलान्ट से भू-राजस्व व मालकाना भी वसूल किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट विवादित भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। जिसके नियम 18(1) के तहत आवंटन के उपरान्त तहसीलदार को तीन वर्ष की अवधि में स्वप्रेरणा से खातेदारी अधिकार प्रदान करना आज्ञापक है। अपीलार्थी उक्त नियम 18(1) के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त यह भूमि यदि पश्चावृति क्रम पर नगरीय सीमा या नगरपालिका के परिधि क्षैत्र में आती है तो अपीलार्थी को नियमानुसार खातेदारी अधिकारो से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट अवलोकन हो रहा है कि संवत 2038 से संवत 2060 तक उक्त रकबे का टी.सी. नवीनीकरण होता रहा है। जिससे साबित हो जाता है कि अपीलान्ट्स/आवंटि का उक्त रकबे पर कब्जा काश्त रहा है।

13. फलस्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील गुणावगुण के आधार पर राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना (सं0 27 सन् 1954) धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार की अधिसूचना (दिनांक 09-10-2007 राजस्थान राज पत्र प्रकाशित दिनांक 18-10-2007) कमांक एफ.6(513) राज/बी/55

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 10–05–1956, एफ.6(513) राज/बी/55 दिनांक 13–09–1957, एफ. 16(129) राज/ई/58 दिनांक 21–01–1959 से विवादित भूमि को उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर कर डी कॉलोनी क्षेत्र घोषित कर दिया गया इससे स्पष्ट है कि राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 18–10–2007 के बाद विवादित भूमि भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के प्रावधान लागू होने और भू–राजस्व अधिनियम के तहत गैर खातेदार काश्तकार खातेदार श्रेणी के ही काश्तकार होते है। अपीलान्ट जो उपनिवेशन क्षेत्र में कृषि आवंटित थे वह अब भू–राजस्व अधिनियम के तहत गैर खातेदार श्रेणी के कृषक हो गये। इसी आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ निर्णय दिनांक 27–03–2024, व तहसीलदार भू–अभिलेख सूरतगढ का निर्णय दिनांक 31–08–2006 अपास्त किये जाते है। आवंटी का आवंटन बहाल कर अपीलान्ट का रकबा आवंटन जो पूर्व में (अस्थाई पट्टा) शर्त 1955 के शर्तो पर आवंटन किया गया एवं तथ्यों उपरान्त उपनिवेशन अधिनियम 1955 को समाप्त कर नियम भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ नियम 1970 के परिपेक्ष में तथा राज पत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 18–10–2007 को उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर करने के पश्चात राजस्थान सरकार की अधिसूचना एफ. 9(77) रेवे–6/2008/15 दिनांक 31–05–2008 के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ का निर्णय दिनांक 27–03–2024 व तहसीलदार (भू–अभिलेख) सूरतगढ के निर्णय दिनांक 31–08–2006 निरस्त किये जाकर तहसीलदार सूरतगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. एफ.9(77) रेवे–6/2008/15 दिनांक 31–05–2008 में धारित नियम 1970 के नियम 18(1) की पूर्ण पालना हो रही है तो राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि) नियम 1970 के नियम 18(1) की पालना करते हुये नगरीय सीमा में भूमि अवस्थित होने के कारण नियमानुसार खातेदारी सनद प्रदान करने की कार्यवाही सुनिश्चित करावे। निर्णित पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम होकर अभिलेखाकार में जमा हो। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.1.26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर